229

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / **दिनांक–**

S.S

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, चनपटिया
जिला– पश्चिम चम्पारण

महोदय,

नगर पंचायत, चनपटिया के वर्ष 2012–13 से 2014–15 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 52 / 16–17 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

(विश्वम्भर कुमार)
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14561 / **दिनांक–** 21.6.16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, पश्चिम चम्चारण

(विश्वम्भर कुमार) 21/6/16
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना

निरीक्षण प्रतिवेदन सं.– 52/16–17

भाग –I

प्रस्तावना

1	निरीक्षित इकाई का नाम	नगर पंचायत, चनपटिया
2	लेखापरीक्षा की अवधि	2012–13 से 2014–15
3	लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	अंकेक्षण में जांच किये गये अभिलेखों एवं पंजियों की सूची प्रतिवेदन के परिशिष्ट–i में दर्शायी गयी है। जिन अभिलेखों एवं पंजियों को अंकेक्षण में उपस्थापित नहीं किया गया था, अधूरा संधारित था या संधारित नहीं था, को परिशिष्ट– ii में दर्शाया गया है।
4	लेखापरीक्षा की कार्य अवधि	18.3.2016 से 29.3.2016
5	**प्रशासन**	
	अध्यक्ष	कार्यअवधि
	श्रीमती किरण देवी	1.4.2012 से 09.6.2012
	श्रीमती कौशल्या देवी	9.6.2012 से 31.3.2015
	उपाध्यक्ष	कार्य अवधि
	श्री मनोज कुमार	1.4.2012 से 09.6.2012
	श्री मो0 नासीरूद्दीन	9.6.2012 से 31.3.2015
	कार्यपालक पदाधिकारी	
	श्री कृष्णा सिंह	1.4.2012 से 23.8.12
	श्री रवीन्द्र कुमार सिन्हा	23.8.12 से 10.5.2013
	श्रीमती शोभा रानी	10.5.13 से 28.2.2014
	श्री भगवान उपाध्याय	1.3.14 से 26.9.2014
	श्री अमर मोहन प्रसाद	26.9.14 से 31.3.2015
6	लेखापरीक्षा दल के सदस्य	श्री रणजीत कुमार कर्ण, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री रविशंकर प्रभाकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री सुनील कुमार सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री रमेश कुमार अभिषेक, लेखापरीक्षक
7	निरीक्षण अधिकारी का नाम	———
8	पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	अनेक बार स्मारित करने के बावजूद लेखापरीक्षा के दौरान पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन अंकेक्षण में उपस्थापित नही किया गया, जिसके कारण लंबित कंडिकाओं के निस्तारण की अनुशंसा लेखापरीक्षा दल द्वारा नही की जा सकी। कार्यपालिका का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करते हुए सलाह दी जाती है कि पूर्ववर्ती अंकेक्षण की लंबित कंडिकाओं के अनुपालन हेतु शीघ्र प्रभावी कदम उठाया जाय।

227

9	अंकेक्षण टिप्पणी	जिन अंकेक्षण आपत्तियों का निस्तारण इकाई के अंकेक्षण के दौरान नहीं हो सका, उन्हें इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।
10	क्या कार्यपालक पदाधिकारी के साथ आपत्तियों पर चर्चा की गयी	हॉ, दिनांक 29.3.2016 को

11 लेखापरीक्षा परिणाम

1	लेखापरीक्षा के दौरान वसूली गयी राशि	शून्य
2	वसूली हेतु सुझायी गयी राशि	3326434
3	अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी गयी राशि	8446071

(विवरण परिशिष्ट–VII पर)

12. बजट प्राक्कलन का नहीं बनाया जाना

नगर पंचायत चनपटिया द्वारा वार्षिक लेखा (नियम 82 तथा 83), वित्तीय विवरण (धारा 88) एवं तुलना पत्र (धारा 89) का संधारण नहीं किया गया । बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 82 से 85 में नगरपालिका का बजट बनाने, उसकी मंजूरी तथा बजट अनुदान में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान किये गये हैं। इसके अनुसार प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को अथवा तत्पश्चात यथा सम्भव शीघ्र बजट प्राक्कलन नगरपालिका के समक्ष पेश करना है। नगरपालिका बजट प्राक्कलन और इस पर सशक्त स्थायी समिति की अनुशंसा, यदि कोई हो पर विचार करेगी तथा प्रत्येक वर्ष 15 मार्च तक ऐसे परिवर्तनों के साथ आगामी वर्ष हेतु बजट प्राक्कलन अंगीकार करेगी जैसा वह आवश्यक समझे और इस प्रकार अंगीकृत बजट राज्य सरकार को भेजेगी। यथा स्थिति राज्य सरकार उपरोक्त उपधारा के अधीन प्राप्त बजट प्राक्कलन राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता से सम्बद्ध उपबंधों में परिवर्तन के साथ अथवा बिना परिवर्तन के उस वर्ष के मार्च की 31 तारीख के पूर्व नगरपालिका को लौटा देगी।

नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2012–13 एवं 13–14 का बजट बनाया ही नहीं गया। साथ ही वर्ष 2014–15 की बजट की संचिका लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।

जबाव में बताया गया कि प्रशिक्षित लेखापाल के नहीं रहने के कारण बजट नहीं बनाया जा सका अब बनाया जा रहा है।

13. नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी गयी विवरणी के अनुसार वर्ष 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 की आय–व्यय विवरणी निम्न प्रकार थी :

क्रम संख्या		2012–13	2013–14	2014–15
1	प्रारम्भिक शेष	18525320	14848370	31936611
2	वर्ष के दौरान प्राप्ति			
क	अनुदान	21864806	26630479	3409152
ख	मुद्रांक शुल्क	––	1361530	––
ग	स्वयं स्त्रोत	857232	667587	2221001
घ	ब्याज की राशि	––	110519	179693
च	जिला से सामाजिक सुरक्षा पेंशन	4257035	4411805	5449800
छ	शिक्षक वेतन	2334756	16000	––
ज	जनगणना	122250	131507	––
	वर्ष के दौरान कुल प्राप्ति	29436079	33329457	11259646
4	कुल प्राप्ति	47961399	48177827	43196257
5.	कुल व्यय	33113029	16241216	32065266
6.	अंतशेष	14848370	31936611	11130991

14 रोकड़बही एवं बैंक पास बुक का अंतशेष

नगर पंचायत द्वारा प्रस्तुत लेखापाल की रोकड़बही के अनुसार दिनांक 31.3.2015 को रोकड़बही का अंतशेष 11130991 था परन्तु कोषागार पासबुक एवं बैंक पासबुक का 31.3.2015 के कुल अंतशेष का योग 25375543 था। इस प्रकार रोकड़बही के अंतशेष से बैंक का अंतशेष 14244552 अधिक था। (विवरण परिशिष्ट–iii पर)। रोकड़बही में किसी भी माह में बैंक समाधान विवरणी नहीं बनाया गया।

जबाव में बताया गया कि बैंक समाधान विवरणी तैयार कर ली जाएगी।

अतः बैंक समाधान विवरणी तैयार कर महालेखाकार कार्यालय को भेजा जाय।

15 **वार्षिक लेखा का संधारण नहीं**

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 86 तथा 88 में क्रमशः लेखा संधारण तथा वित्तीय विवरण तैयार करने का प्रावधान किया गया है। धारा 88 के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के चार माह के भीतर एक वित्तीय विवरण तैयार करना है जिसमें नगरपालिका लेखा के मद्दे पूर्ववर्ती वर्ष का आय–व्यय लेखा तथा प्राप्तियों एवं अदायगियों को अंतर्विष्ट करना है। इसके अतिरिक्त बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के नियम–120 के अंतर्गत प्राप्ति एवं भुगतान का मासिक विवरण बी0एम0ए0आर0 प्रपत्र संख्या–71 में तैयार करना है तथा नियम–122 के तहत प्राप्ति तथा भुगतान लेखा बी0एम0ए0आर0

225

प्रपत्र संख्या–71, आय तथा व्यय विवरण बी0एम0ए0आर0 प्रपत्र संख्या–73 एवं आर्थिक चिट्ठा बी0एम0ए0आर0 प्रपत्र संख्या–74 में संधारित करना है।

जबाव में बताया गया कि प्रशिक्षित लेखापाल के नहीं रहने के कारण वार्षिक लेखा का संधारण नहीं किया गया।

अतः वार्षिक लेखा का संधारण कर लेखापरीक्षा कार्यालय को सूचित किया जाय।

दावा अस्वीकरण प्रमाण पत्र

(DISCLAIMER CERTIFICATE)

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, चनपटिया द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध कराई गई सूचनाओं/ विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार कार्यालय इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है ।

भाग –II क– शून्य

भाग –II ख

1. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY) अंतर्गत प्रशिक्षण में अनियमितता

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) का प्रारम्भ 01.12.1997 को किया गया था। इसका पुनरीक्षित मार्गनिर्देशिका 1.4.2009 से प्रभाव में आया। इस योजना का मुख्य उददेश्य शहरी बेरोजगार युवकों को कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराकर रोजगार का अवसर प्रदान करना था। नगर पंचायत, चनपटिया द्वारा एस.जे.एस.आर.वाई. अंतर्गत वर्ष 2012–13 के दौरान ब्यूटिशियन, स्टेनोग्राफी एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, मल्टी मिडिया, ड्राइविंग एवं फैशन डिजायनिंग, लैब टैकनीशियन, होम केयर एण्ड नर्सिंग, सिक्यूरिटी गार्ड एवं प्लम्बर/फीटर/टर्नर/वेल्डिंग के कोर्स में प्रशिक्षण देने हेतु मिल्ली एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी तथा ग्राम्य विकास परिषद के साथ कुल 03 एकरारनामा किया गया और प्रशिक्षण हेतु कार्यादेश जारी किया गया। वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के दौरान इन दोनों संस्थाओं को कुल 2777612 का भुगतान किया गया। संबंधित संचिका की जॉच में पाया गया कि नगर पचांयत एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 2/स्वर्ण–2/11–927 दिनांक 6.9.2012 एवं अन्य पत्रों द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं किया गया। संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना संदेहास्पद है। अलग– अलग एकरारनामा के अंतर्गत चलाये गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पायी गयी अनियमितताओं का उल्लेख निम्नलिखित कंडिकाओं में किया गया है –

क. मिल्ली एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित ब्यूटिशियन कोर्स के प्रशिक्षण में संदिग्ध, व्ययः ₹12.32 लाख

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY) अंतर्गत प्रशिक्षण से संबंधित संचिका की नमूना जॉच में पाया गया कि नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 2/स्वर्ण–2/11–927 दिनांक 6.9.2012 के आलोक में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत बी पी एल परिवारों के 265 युवक एवं युवतियों को ब्यूटिशियन कोर्स में प्रशिक्षण दिलाने के लिए कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पचांयत, चनपटिया एवं मिल्ली एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी, जनता हाट, किशनगंज के बीच दिनांक 26.3.2013 को एकरारनामा किया गया। एकरारनामा के अनुसार प्रशिक्षण की दर प्रति प्रशिक्षणार्थी ₹5500/– तय की गयी थी। इस संदर्भ में नगर पंचायत के पत्रांक 148 दिनांक 26.3.2013 द्वारा मिल्ली एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर संस्था को कार्यादेश जारी किया गया था। कार्यादेश के अनुसार संस्थान को यह प्रशिक्षण शहरी गरीबी रेखा के नीचे गुजर–बसर कर रहे परिवार के लाभार्थियों को ही देना था। संस्था को लाभार्थियों का समूह बनाकर प्रतिदिन चार घण्टे का प्रशिक्षण देना था तथा प्रशिक्षण से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन से कार्यपालक पदाधिकारी को प्रत्येक सप्ताह अवगत कराना था।

जिला पदाधिकारी, बेतिया द्वारा अपने पत्रांक 1712 दिनांक 27.09.2013 के माध्यम से एस जी एस आर वाई अंतर्गत संचालित ब्यूटीशियन कोर्स में अनियमितता के संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी, चनपटिया से स्पष्टीकरण मॉगा गया था। उक्त पत्र के अनुसार एस जी एस आर वाई अंतर्गत संचालित ब्यूटीशियन कोर्स के संबंध में प्राप्त शिकायत के आलोक मेंवरीय समाहर्ता सह भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेतिया सदर से दिनांक 11.9.2013 को मिल्ली एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित ब्यूटिशियन कोर्स के प्रशिक्षण केन्द्र की जॉच की गयी थी। जॉच में मात्र 66 प्रशिक्षणार्थी ही उपस्थित पाये गए थे जबकि इस संस्था द्वारा 265 प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण का एकरारनामा किया गया था और इतने ही प्रशिक्षणार्थियों के विरूद्ध अग्रिम का भुगतान नगर पंचायत द्वारा किया गया था। जिला पदाधिकारी, बेतिया द्वारा पूछे गए स्पष्टीकरण के जबाव में कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत चनपटिया द्वारा अपने पत्रांक 447 दिनांक 30.9.2013 के माध्यम से बताया गया कि प्रशिक्षण दो पाली में कराया जाता है और वरीय समाहर्ता द्वारा केवल एक ही पाली में उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों की जॉच की गयी थी। नगर पंचायत द्वारा अपने पत्रांक 265 दिनांक 4.6.2014 द्वारा उक्त संस्था को 66 प्रशिक्षणार्थियों के लिए भुगतेय ₹363000 काटकर शेष ₹869112 नगर पंचायत को वापस करने हेतु निर्देश दिया गया था। परन्तु संस्था द्वारा उक्त राशि नहीं लौटाई गयी। इस संबंध में अंतिम स्मार पत्रांक 465 दिनांक 30.8.2014 को दी गयी। साथ ही, नगर पंचायत के पत्रांक 757 दिनांक 7.1.2015 द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना को पत्र लिखा गया जिसमें उक्त संस्था को काली सूची में डालने एवं संस्था के विरूद्ध अन्य दण्डात्मक कार्रवाई हेतु दिशानिर्देश मांगा गया। दिनांक 26.12.2014 को संस्था पर प्राथमिकी दर्ज करने की टिप्पणी नगर प्रबंधक, नगर पंचायत चनपटिया द्वारा की गयी थी। संस्था द्वारा अभी तक न तो राशि लौटाई गयी न ही उसके विरूद्ध नगर पंचायत/नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा कोई कार्रवाई की गयी। संस्था

1223

को कुल ₹1457500 का भुगतान किया जाना था जिसमें से दिनांक 31.8.13 तक तीन किस्तों में कुल ₹1232112/– का भुगतान किया गया जबकि ₹225388/– भुगतान हेतु लंबित है। विवरण निम्न प्रकार है:

क्र0स0	चेक संख्या	तिथि	भुगतान की गयी राशि (₹ में)
1	087781	30.5.13	364375
2	087783	8.8.13	383287
3	087786	31.8.13	484450
			1232112

अंकेक्षण टिप्पणी

(i) नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 2/स्वर्ण–2/11–927 दिनांक 6.9.2012 द्वारा निर्देश दिया गया था कि प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के पूर्व एवं संस्थाओं के साथ एकरारनामा करने के पहले प्रशिक्षण हेतु चयनित संस्थाओं के संबंध में विभिन्न बिन्दुओं यथा संस्था को प्रशिक्षण देने का अनुभव, संस्था के पास अनुभवी शिक्षक की उपलब्धता, क्लास रूम, प्रयोगशाला व आधारभूत सुविधा, प्रशिक्षण स्थल, प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार मुहैया कराने की क्षमता आदि की जॉच कार्यालय द्वारा कर ली जाय परन्तु नगर पंचायत के किसी सक्षम अधिकारी द्वारा इसकी जॉच नहीं की गयी और संस्था को बिना जॉच के ही एकरारनामा कराकर कार्यादेश जारी कर दी गयी जो सरकार द्वारा दिये गए दिशानिर्देश का उल्लंघन था। नगर पंचायत द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची एवं संस्था द्वारा जिन जिन प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया उनका नाम, पता एव बी पी एल न0 के साथ सूची एवं आवेदन पत्र लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया जिसके कारण यह सुनिश्चित नहीं हो पाया कि संस्था को किन किन अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिलाया जाना था और किन्हें प्रशिक्षण दिलाया गया।

(ii) दिनांक 11.9.2013 को वरीय समाहर्ता सह भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेतिया द्वारा मिल्ली एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित ब्यूटिशियन कोर्स के प्रशिक्षण केन्द्र की जॉच में 265 प्रशिक्षणार्थियों के विरूद्ध मात्र 66 प्रशिक्षणार्थी ही उपस्थित पाये गए थे। इस संबंध में जिला पदाधिकारी, बेतिया द्वारा पूछे गए स्पष्टीकरण के जबाव में कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत चनपटिया द्वारा अपने पत्रांक 447 दिनांक 30.9.2013 के माध्यम से बताया गया कि प्रशिक्षण दो पाली में कराया जाता है और वरीय समाहर्ता द्वारा केवल एक ही पाली में उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों की जॉच की गयी थी। संस्था द्वारा भी अपने पत्रांक 1065 दिनांक 28.9.2013 के माध्यम से बताया गया कि जिस दिन जिला उपसमाहर्ता द्वारा जॉच किया गया, पहली पाली चल रहा था। उस वक्त दो प्रशिक्षक मौजूद थे एक प्रशिक्षक जरूरी कार्य हेतु छुटटी पर थी। संस्था द्वारा यह भी बताया गया कि उनके द्वारा प्रशिक्षण हेतु कुल 06 प्रशिक्षक को 06 महीने के लिए लगाया गया था जिन्हें प्रतिमाह ₹12000 की दर से ₹72000/– का भुगतान किया गया। इसके

समर्थन में प्रशिक्षको का प्राप्ति रसीद भी प्रस्तुत किया गया। प्रत्येक पाली में कितने प्रशिक्षको को कार्य पर लगाया जाता था एवं उनसे प्रतिदिन कितने घंटे कार्य लिया जाता था, यह संचिका में उपलब्ध नहीं था। साथ ही प्रशिक्षण का batch size एवं schedule क्या था, इसकी जॉच भी नगर पंचायत द्वारा नहीं की गयी। यदि एक पाली में तीन प्रशिक्षकों द्वारा 66 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया था तो दूसरे पाली में मात्र तीन प्रशिक्षकों द्वारा 199 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण देना संभव प्रतीत नहीं होता है। साथ ही जब वरीय समाहर्ता द्वारा किए गए जॉच के दौरान मात्र 66 प्रशिक्षणार्थी पाए गए थे तो कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा उसके बाद औचक निरीक्षण कर दूसरी पाली में पा रहे प्रशिक्षणार्थियों की संख्या/उपस्थिति पंजी/उपस्थित प्रशिक्षक आदि की जॉच की जानी चाहिए थी और जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया जाना चाहिए था परन्तु ऐसा नहीं किया गया जो स्पष्ट करता है कि नगर पंचायत प्रशिक्षण एवं सरकारी धन के व्यय के प्रति गंभीर नहीं था। कार्यपालक पदाधिकारी एवं संस्थान के उत्तर से स्वतः स्पष्ट है कि संस्था द्वारा 266 अभ्यर्थियों को विधिवत् प्रशिक्षण नहीं दिया गया।

(iii) नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक –2/11–927/न0वि.एवं आ0वि0 दिनांक 6.9.2012 के अनुसार संस्था को प्रशिक्षण के उपरांत कम से कम 30 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार मुहैया कराना था तथा शेष इच्छुक प्रशिक्षणार्थियों को स्वरोजगार कराने में सहायता करना था परन्तु संस्था द्वारा प्रशिक्षण के उपरांत कितने प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार मुहैया कराया गया और कितने को स्वरोजगार से जोड़ा गया अथवा कितने प्रशिक्षणार्थियों के आवेदन को संस्था द्वारा बैंक अग्रेषित किया गया, इसके संबंध में नगर पंचायत द्वारा संस्था से कोई जानकारी नहीं मांगी गयी।

(iv) संस्था द्वारा प्रमाणपत्र वितरित किये जाने के समय अथवा प्रशिक्षण दिये जाने की अवधि में प्रशिक्षणार्थियों का फोटोग्राफ भी नहीं लिया गया। टूल किट वितरित किये जाने हेतु नगर पंचायत द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया जबकि कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा जिला पदाधिकारी को प्रेषित पत्र संख्या 447 दिनांक 30.9.2013 में बताया गया था कि प्रशिक्षण समाप्त होते ही प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को जॉचोपरांत एक एक टूल कीट एवं प्रमाणपत्र दी जाएगी ताकि प्रशिक्षणार्थी अपना स्वरोजगार कर सकेंगे।

(v) कार्यादेश में कहा गया था कि संस्थान को प्रशिक्षण से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन से अधोहस्ताक्षरी अर्थात कार्यपालक पदाधिकारी को प्रत्येक सप्ताह अवगत कराना अनिवार्य होगा। परन्तु संस्था द्वारा किसी भी सप्ताह प्रगति प्रतिवेदन नहीं दिया गया फिर भी उसे तीन किस्तों में ₹1232112/– का भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि संस्था द्वारा एकरारनामा में की गयी घोषणा के आधार पर उसे कार्य दिया गया। संस्था की जॉच नहीं की जा सकी। अभ्यर्थियों की सूची खोजी जा रही है तथा संस्था से सूची समर्पित करने के लिए पत्राचार किया जाएगा। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा जॉच प्रतिवेदन संचिका में उपलब्ध नहीं है। प्रशिक्षण के दौरान बैच साइज एवं शेड्यूल तथा उपस्थिति पंजी खोजी जाएगी। प्रशिक्षण का फोटोग्राफ नहीं लिया जा सका। संस्था द्वारा टूलकिट नहीं दिये जाने एवं

साप्ताहिक प्रविदेन समर्पित नहीं करने तथा प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार मुहैया करवाने के संबंध में संस्था को पत्र लिखा जा रहा है। संस्था पर दण्डात्मक कार्रवाई एवं प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में सरकार से दिशानिर्देश मांगा जाएगा।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि नगर पंचायत प्रशिक्षण एवं सरकारी धन के व्यय के प्रति गंभीर नहीं था और संस्था द्वारा नियमानुसार प्रशिक्षण दिया जाना संदेहास्पद है और अनियमितता के लिए दोषी व्यक्तियों/संस्था पर कार्रवाई की जाय। कार्रवाई रिपोर्ट से महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराया जाय। तब तक व्यय की गयी राशि ₹869112/– (1232112–363000) संस्था/जिम्मेवार व्यक्ति से वसूला जाय।

ख मिल्ली एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित 5 विभिन्न कोर्स में प्रशिक्षण संदिग्ध, व्ययः ₹10.15 लाख

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 2/स्वर्ण–2/11–927 दिनांक 6.9.2012 के आलोक में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत बी पी एल परिवारों के 163 अभ्यर्थियों को स्टेनोग्राफी एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, मल्टी मिडिया, ड्राइभिंग एवं फैशन डिजायनिंग के कोर्स में प्रशिक्षण दिलाने के लिए कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पचांयत, चनपटिया एवं मिल्ली एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी, जनता हाट, किशनगंज के बीच दिनांक 8.10.2012 को एकरारनामा किया गया। इस संदर्भ में नगर पंचायत के पत्रांक 393 दिनांक 8.10.12 के द्वारा मिल्ली एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी को कार्यादेश जारी किया गया था। कार्यादेश के अनुसार संस्थान द्वारा प्रशिक्षण शहरी गरीबी रेखा के नीचे गुजर–बसर कर रहे परिवार के लाभार्थियों को ही देना था। संस्था को लाभार्थियों का समूह बनाकर प्रतिदिन चार घण्टे का प्रशिक्षण देना था तथा प्रशिक्षण से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन से कार्यपालक पदाधिकारी को प्रत्येक सप्ताह अवगत कराना था।

कार्यादेश में दिए गए प्रशिक्षण का विवरण निम्न प्रकार था :

क्रम सं0	व्यवसाय का नाम जिसमें प्रशिक्षण देना था	लाभार्थियों की संख्या	दर
1	स्टेनोग्राफी एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन	13	5000 से 6000
2	कम्प्यूटर सॉफटवेयर	46	6000 से 7000
2	मल्टी मिडिया	5	5000 से 6000
3	ड्राइभिंग	27	4000 से 5000
4	फैशन डिजायनिंग	72	6000 से 7000

संस्था को कुल ₹1014500/– का भुगतान किया गया । विवरण निम्न प्रकार है:

क्र0स0	चेक संख्या	तिथि	भुगतान की गयी राशि	अभियुक्ति
1	087777	8.12.2012	500000	
2	087779	4.2.2013	300000	
3			35625	
4	087782	17.7.13	178875	
			1014500	

अंकेक्षण टिप्पणी

(i) नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक2/स्वर्ण–2/11–927 दिनांक 06.09.2012 द्वारा निर्देश दिया गया था कि प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के पूर्व एवं संस्थाओं के साथ एकरारनामा करने के पहले प्रशिक्षण हेतु चयनित संस्थाओं के संबंध में विभिन्न बिन्दुओं यथा संस्था को प्रशिक्षण देने का अनुभव, संस्था के पास अनुभवी शिक्षक की उपलब्धता, क्लास रूम, प्रयोगशाला व आधारभूत सुविधा, प्रशिक्षण स्थल, प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार मुहैया कराने की क्षमता आदि की जॉच कार्यालय द्वारा कर ली जाय परन्तु नगर पंचायत के किसी सक्षम अधिकारी द्वारा इसकी जॉच नहीं की गयी और संस्था को बिना जॉच के ही एकरारनामा कराकर कार्यादेश जारी कर दी गयी जो सरकार द्वारा दिये गए दिशानिर्देश का उल्लंघन था। नगर पंचायत द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची एवं संस्था द्वारा जिन– जिन प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया उनका नाम, पता एव बी पी एल न0 के साथ सूची एवं आवेदन पत्र लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया जिसके कारण यह सुनिश्चित नहीं हो पाया कि संस्था को किन किन अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिलाया जाना था और किन्हें प्रशिक्षण दिलाया गया।

(ii) नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक –2/11–927/न0वि0एवंआ0वि0 दिनांक 6.9.2012 के अनुसार संस्था को प्रशिक्षण के उपरांत कम से कम 30 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार मुहैया कराना था तथा शेष इच्छुक प्रशिक्षणार्थियों को स्वरोजगार कराने में सहायता करना था परन्तु संस्था द्वारा प्रशिक्षण के उपरांत कितने प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार मुहैया कराया गया और कितने को स्वरोजगार से जोड़ा गया अथवा कितने प्रशिक्षणार्थियों के आवेदन को संस्था द्वारा बैंक अग्रेषित किया गया, इसके संबंध में नगर पंचायत द्वारा संस्था से कोई जानकारी नहीं मांगी गयी ।

(iii) संस्था द्वारा प्रमाण पत्र वितरित किये जाने के समय अथवा प्रशिक्षण दिये जाने की अवधि में प्रशिक्षणार्थियों का फोटोग्राफ भी नहीं लिया गया। कार्यादेश में कहा गया था कि संस्थान को प्रशिक्षण से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन से अधोहस्ताक्षरी अर्थात कार्यपालक पदाधिकारी को प्रत्येक सप्ताह अवगत कराना

अनिवार्य होगा। परन्तु संस्था द्वारा किसी भी सप्ताह प्रगति प्रतिवेदन नहीं दिया गया फिर भी उसे ₹1014500/– का भुगतान किया गया जो अनियमित था।

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि संस्था द्वारा एकरारनामा में की गयी घोषणा के आधार पर उसे कार्य दिया गया। संस्था की जॉच नहीं की जा सकी। अभ्यर्थियों की सूची खोजी जा रही है तथा संस्था से सूची समर्पित करने के लिए पत्राचार किया जाएगा। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा जॉच प्रतिवेदन संचिका में उपलब्ध नहीं है। प्रशिक्षण के दौरान बैच साइज एवं शेड्यूल तथा उपस्थिति पंजी खोजी जाएगी। प्रशिक्षण का फोटोग्राफ नहीं लिया जा सका। संस्था द्वारा टूलकिट नहीं दिये जाने एवं साप्ताहिक प्रविदेन समर्पित नहीं करने तथा प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार मुहैया करवाने के संबंध में संस्था को पत्र लिखा जा रहा है। अन्य विन्दुओं की जॉच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि नगर पंचायत प्रशिक्षण एवं सरकारी धन के व्यय के प्रति गंभीर नहीं था और संस्था द्वारा नियमानुसार प्रशिक्षण दिया जाना संदेहास्पद है। अतः अनियमितता के लिए दोषी व्यक्तियों/संस्था पर कार्रवाई की जाय। कार्रवाई रिपोर्ट से महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराया जायतथा व्यय की गयी राशि ₹ 1014500/– संस्था/जिम्मेवार व्यक्ति से वसूला जाय।

ग. ग्राम्य विकास परिषद द्वारा संचालित 4 विभिन्न कोर्स में प्रशिक्षण संदिग्ध, व्ययः ₹ 5.31 लाख

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY) अंतर्गत प्रशिक्षण से संबंधित संचिका की नमूना जॉच में पाया गया कि नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 2/स्वर्ण–2/11–927 दिनांक 6.9.2012 के आलोक में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत बी पी एल परिवारों के 94 अभ्यर्थियों को लैबटैकनीशियन, होम केयर एण्ड नर्सिंग, सिक्यूरिटी गार्ड एव प्लम्बर/फीटर/टर्नर/वेल्डिंग के कोर्स में प्रशिक्षण दिलाने के लिए कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पचांयत, चनपटिया एवं ग्राम्य विकास परिषद, मंगलपुर नौतन, पश्चिम चम्पारण के बीच दिनांक 8.10.2012 को एकरारनामा किया गया। इस संदर्भ में नगर पंचायत के पत्रांक 393(II) दिनांक 8.10.12 के द्वारा ग्राम्य विकास परिषद को कार्यादेश जारी किया गया था। कार्यादेश में कहा गया था कि संस्थान यह प्रशिक्षण शहरी गरीबी रेखा के नीचे गुजर–बसर कर रहे परिवार के लाभार्थियों को ही देगी। लाभार्थियों का समूह बनाकर प्रतिदिन चार घण्टे का प्रशिक्षण देना है। प्रशिक्षण से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन से कार्यपालक पदाधिकारी को प्रत्येक सप्ताह अवगत कराना अनिवार्य होगा। कार्यादेश में दिए गए प्रशिक्षण का विवरण निम्न प्रकार है:

क्रम सं0	व्यवसाय का नाम जिसमें प्रशिक्षण देना था	लाभार्थियों की संख्या	दर
1	लैब टेक्नीशियन	4	5000 से 6000
2	होम केयर एण्ड नर्सिंग	24	5000 से 6000
3	सिक्यूरिटी गार्ड	26	4000 से 5000
4	प्लम्बर/फीटर/टर्नर/वेल्डिंग	40	6000 से 7000

ग्राम्य विकास परिषद को कुल ₹531000 का भुगतान किया गया। विवरण निम्न प्रकार है:

क0स0	चेक संख्या	तिथि	भुगतान की गयी राशि (₹में)
1	087778	8.1.2013	200000
2	087787	31.8.2013	331000
			531000

अंकेक्षण टिप्पणी

(i) नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 2/स्वर्ण–2/11–927 दिनांक 6.9.2012 द्वारा निर्देश दिया गया था कि प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के पूर्व एवं संस्थाओं के साथ एकरारनामा करने के पहले प्रशिक्षण हेतु चयनित संस्थाओं के संबंध में विभिन्न बिन्दुओं यथा संस्था को प्रशिक्षण देने का अनुभव, संस्था के पास अनुभवी शिक्षक की उपलब्धता, क्लास रूम, प्रयोगशाला व आधारभूत सुविधा, प्रशिक्षण स्थल, प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार मुहैया कराने की क्षमता आदि की जॉच कार्यालय द्वारा कर ली जाय परन्तु नगर पंचायत के किसी सक्षम अधिकारी द्वारा इसकी जॉच नहीं की गयी और संस्था को बिना जॉच के ही एकरारनामा कराकर कार्यादेश जारी कर दी गयी जो सरकार द्वारा दिये गए दिशा निर्देश का उल्लंघन था। नगर पंचायत द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची एवं संस्था द्वारा जिन जिन प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया उनका नाम, पता एव बी पी एल न0 के साथ सूची एवं आवेदन पत्र लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया जिसके कारण यह सुनिश्चित नहीं हो पाया कि संस्था को किन किन अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिलाया जाना था और किन्हें प्रशिक्षण दिलाया गया।

(ii) नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक –2/11 –927/न0वि0 एवं आ0वि0 दिनांक 6.9.2012 के अनुसार संस्था को प्रशिक्षण के उपरांत कम से कम 30 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार मुहैया कराना था तथा शेष इच्छुक प्रशिक्षणार्थियों को स्वरोजगार कराने में सहायता करना था परन्तु संस्था द्वारा प्रशिक्षण के उपरांत कितने प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार मुहैया कराया गया और कितने को स्वरोजगार से जोड़ा गया अथवा कितने प्रशिक्षणार्थियों के आवेदन को संस्था द्वारा बैंक अग्रेषित किया गया, इसके संबंध में नगर पंचायत द्वारा संस्था से कोई जानकारी नहीं मांगी गयी।

(iii) संस्था द्वारा प्रमाण पत्र वितरित किये जाने के समय अथवा प्रशिक्षण दिये जाने की अवधि में प्रशिक्षणार्थियों का फोटोग्राफ भी नहीं लिया गया। कार्यादेश में कहा गया था कि संस्थान को प्रशिक्षण से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन से अधोहस्ताक्षरी अर्थात कार्यपालक पदाधिकारी को प्रत्येक सप्ताह अवगत कराना अनिवार्य होगा। परन्तु संस्था द्वारा किसी भी सप्ताह प्रगति प्रतिवेदन नहीं दिया गया फिर भी उसे ₹531000/– का भुगतान किया गया जो अनियमित था।

(iv) नगर पंचायत के पत्रांक 439 दिनांक 5.12.2012 द्वारा संस्था को सूचित किया गया कि उनके द्वारा कराई गयी जॉच में प्रशिक्षण स्थल मात्र 331 वर्गफीट का पाया गया जबकि 1500 वर्गफीट होना चाहिए था और जिस स्थल पर प्रशिक्षण दिलाने की बात की गयी थी उस स्थल से इतर कहीं और प्रशिक्षण

1217

दिलाया जा रहा है। साथ ही निरीक्षण के दौरान प्रशिक्षण कार्य बंद पाया गया। पत्र के उत्तर में ग्राम्य विकास परिषद द्वारा होम केयर एण्ड नर्सिंग, सिक्यूरिटी गार्ड एवं प्लम्बर/फीटर/टर्नर/वेल्डिंग के कोर्स में प्रशिक्षण अलग अलग स्थल पर 350 से 650 वर्गफीट के स्थान पर चलाने की बात कही गयी और प्रशिक्षण अवधि 3 घंटे की बतायी गयी जबकि कार्यादेश में यह 4 घण्टे था। लैब टेक्नीशियन के प्रशिक्षण के संबंध में किसी स्थल की चर्चा पत्र में नही की गयी। इस कोर्स में प्रशिक्षण दिलाया गया अथवा नहीं यह स्पष्ट नहीं था। साथ ही अन्य तीन प्रशिक्षण स्थल हेतु किये गए किराये के भुगतान के समर्थन में रसीद लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा अन्य किसी दिन जिस दिन प्रशिक्षण चल रहा हो उस दिन जॉच करने का कोई प्रमाण नहीं पाया गया। प्रशिक्षण के दौरान batch size, पर्याप्त प्रशिक्षक आदि को सुनिश्चित नहीं किया गया। प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति पंजी नहीं थी।

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में बताया गया कि संस्था द्वारा एकरारनामा में की गयी घोषणा के आधार पर उसे कार्य दिया गया। संस्था की जॉच नहीं की जा सकी। अभ्यर्थियों की सूची खोजी जा रही है तथा संस्था से सूची समर्पित करने के लिए पत्राचार किया जाएगा। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा जॉच प्रतिवेदन संचिका में उपलब्ध नहीं है। प्रशिक्षण के दौरान बैच साइज एवं शेड्यूल तथा उपस्थिति पंजी खोजी जाएगी। प्रशिक्षण का फोटोग्राफ नहीं लिया जा सका। संस्था द्वारा टूलकिट नहीं दिये जाने एवं साप्ताहिक प्रविदेन समर्पित नहीं करने तथा प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार मुहैया करवाने के संबंध में संस्था को पत्र लिखा जा रहा है। अन्य विन्दुओं की जॉच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि नगर पंचायत प्रशिक्षण एवं सरकारी धन के व्यय के प्रति गंभीर नहीं था और संस्था द्वारा नियमानुसार प्रशिक्षण दिया जाना संदेहास्पद है। अतः अनियमितता के लिए दोषी व्यक्तियों/संस्था पर कार्रवाई की जाय। कार्रवाई रिपोर्ट से महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराया जाय तथा व्यय की गयी राशि ₹ 531000/– संस्था/जिम्मेवार व्यक्ति से वसूला जाय।

2 हाईमास्ट लाइट एवं स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन में अनियमितता

हाईमास्ट लाइट अधिष्ठापन से संबंधित संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि नगर पंचायत चनपटिया के सशक्त स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26.3.2013 के प्रस्ताव संख्या– 05 में हाईमास्ट लगाने एवं 180 अदद स्ट्रीट लाइट लगाने के निर्णय के आलोक में 4 अदद हाईमास्ट लाईट एवं 180 स्ट्रीट लाईट आपूर्ति हेतु न्यूनतम मूल्य के कोटेशन दाता आर.के.इन्टरप्राइजेज, कंकड़बाग, पटना के साथ नगर पंचायत चनपटिया का एकरारनामा दिनांक 5.4.2013 को हुआ। नगर पंचायत के पत्रांक 192 दिनांक 22.4.2013 द्वारा चार चयनित स्थलों पर हाईमास्ट लाईट लगाने का आदेश दिया गया। पुनः 01 अदद हाईमास्ट लाईट लगाने हेतु दिनांक 17.7.2013 को आर. के. इन्टरप्राइजेज के साथ नगर पंचायत, चनपटिया का एकरारनामा हुआ। इसके अलावे नगर पंचायत की दिनांक 3.9.13 की बैठक में लिये गए निर्णय के आलोक में 80 अदद स्ट्रीट लाइट लगाने हेतु आपूर्ति आदेश पत्रांक 392 दिनांक 5.9.2013 द्वारा दिया गया। हाईमास्ट लाईट का मूल्य प्रति अदद ₹772000/– तथा स्ट्रीट लाईट का मूल्य प्रति अदद

₹3000/– था। आपूर्तिकर्ता आर. के. इन्टरप्राइजेज को दिनांक 24.7.2013 से 3.10.2013 के दौरान ₹4744040/– किया गया। विवरण निम्न प्रकार है:

क्रम सं0	चेक संख्या	तिथि	भुगतान की गयी राशि	रोकी गयी 2 प्रतिशत राशि	सामग्री
1	820649	24.7.13	2000000	––	4 अदद हाईमास्ट लाईट
2	820658	6.11.13	1066240	21760	––तथैव ––
3	820642	26.6.13	529200	10800	180 अदद स्ट्रीट लाईट
4	820650	13.8.13	501800	..	1 अदद हाईमास्ट लाईट
5	820650	13.8.13	411600	8400	140 अदद स्ट्रीट लाईट
6	820653	3.10.13	235200	4800	80 अदद स्ट्रीट लाईट
	कुल भुगतान		4744040	45760	

अंकेक्षण आपत्ति

(i) नगर पंचायत के पत्रांक 07 दिनांक 6.1.2014 के द्वारा मेसर्स आर के इण्टरप्राइजेज, पटना को एक पत्र भेजा गया था जिसमें कहा गया कि आपूर्तिकर्ता द्वारा स्ट्रीट लाइट एवं हाईमास्ट लाईट के पोलों पर नेम प्लेट लिखा नहीं गया जबकि एकरारनामा की शर्त में इसका स्पष्ट उल्लेख था। आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति किया गया सी एफ एल बल्ब सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा था एवं आपूर्तिकर्ता को दिए गए 25 बल्ब नगर पंचायत को वापस भी नहीं किया गया। साथ ही बहुत से पोलों पर बल्ब जल भी नहीं रहा था। आपूर्तिकर्ता को इस संबंध में पत्रांक 600 दिनांक 28.12.2013 द्वारा भी पत्र लिखा गया था। इससे स्पष्ट है कि आपूर्तिकर्ता द्वारा दी गयी सामग्री एवं सेवा दोनों ही स्तरीय नही थी।

(ii) संचिका में इस बात का उल्लेख नहीं पाया गया कि 01 अदद हाईमास्ट लाईट एवं 400 अदद स्ट्रीट लाइट किन किन स्थानों पर लगाया जाना था एवं आपूर्तिकर्ता द्वारा किन किन स्थानों पर वास्तव में इन लाइटों को अधिष्ठापित किया गया। आपूर्तिकर्ता से प्राप्त की गयी सामग्री की भंडार पंजी में प्रविष्टि नहीं किया गया।

(iii) आपूर्तिकर्ता द्वारा अधिष्ठापित लाइट की विशिष्टता का कहीं भी उल्लेख नहीं पाया गया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उसके द्वारा उसी लाइट का अधिष्ठापन किया गया जिसका उल्लेख उसके कोटेशन में किया गया था। साथ ही इस बात की जॉच किसी तकनीकी कर्मचारी/अधिकारी द्वारा भी नहीं की गयी और बिना उपयुक्त जॉच किये ही आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया गया जिसके कारण गारंटी अवधि समाप्त होने के पहले ही लाइट खराब हो गए और स्ट्रीट लाइट लगाने का उददेश्य पूरा नहीं हुआ।

(iv) नगर पंचायत के बैठक की पंजी जिसमें 05 हाईमास्ट लाईट, 180 अदद, 140 अदद एवं 80 अदद स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापन करने का निर्णय लिया गया था, लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

(v) आपूर्तिकर्ता को भुगतान के पहले उससे वैट की राशि कटौती नहीं करने एवं स्ट्रीट लाइट के भुगतान से पहले 2 प्रतिशत वैट की कटौती नहीं करने एवं तुलनात्मक विवरणी नहीं बनाये जाने का कारण नहीं बताया गया।

215

जवाब में बताया गया कि अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में सभी विन्दुओं पर जांच कर आपूर्तिकर्ता के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। विपत्र में भैट सहित राशि दी गयी थी इसलिए भैट की कटौती नहीं की जा सकी। भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा। लगाये गये स्ट्रीट लाइट के स्थल का सर्वे कर भंडार पंजी का संधारण नहीं किया गया था परन्तु अब इसका संधारण किया जा रहा है।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आपूर्तिकर्ता द्वारा घटिया स्तर के स्ट्रीट लाइट की आपूर्ति की गयी। जो स्ट्रीट लाइट आपूर्तिकर्ता को लौटाए गए थे उसे वापस नहीं किये जाने पर भी नगर पंचायत द्वारा उसकी वसूली हेतु कोई कार्रवाई नहीं किया जाना इस बात को दर्शाता है कि नगर पंचायत सरकारी धन के सदुपयोग के प्रति गंभीर नहीं है। साथ ही क्रय किये गए सभी स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन हुआ, यह संदेहास्पद है। अतः स्ट्रीट लाइट के क्रय, उसके अधिष्ठापन एवं गुणवत्ता की उच्चस्तरीय जॉच करवाई जाय और जॉच प्रतिवेदन के फलाफल से महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराया जाय। तब तक व्यय की गयी राशि ₹4744040/– को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

3. डस्टबीन एवं अन्य सामग्री के कय में अनियमितता, अनियमित व्यय : 22.30 लाख

डस्टबीन क्रय से संबंधित संचिका की नमूना जॉच में पाया गया कि नगर पचांयत चनपटिया की सशक्त स्थायी समिति द्वारा दिनांक 5.10.2012 एवं 15.12.2012 की बैठक में निम्नलिखित उपकरण क्रय किये जाने का निर्णय लिया गया था :

कम सं0	सामग्री	संख्या
1	डस्टबीन–1100 लीटर	8 पीस
2	डस्टबीन–600 लीटर	21 पीस
3	डस्टबीन–240 लीटर	20 पीस
4	हाइड्रोलिक टेम्पू	1 पीस
5	फॉगिंग मशीन – छोटा	1 पीस
6	सी एफ एल बल्ब – 85 वाट	40 पीस
7	सेक्शन मशीन	1 पीस

उपर्युक्त उपकरण के क्रय हेतु टेलीफोनिक वार्ता द्वारा मेसर्स सिन्हा इन्टरप्राइजेज, दीपक मार्केट, सिकरिया मोड़, गया से कोटेशन प्राप्त कर नगर पंचायत के पत्रांक 55 दिनांक 12.2.2013 द्वारा मेसर्स सिन्हा इन्टरप्राइजेज को आपूर्ति आदेश जारी किया गया। विवरण निम्न प्रकार है :

कम सं0	सामग्री	संख्या	दर	कुल राशि
1	डस्टबीन–1100 लीटर	8 पीस	61000	488000
2	डस्टबीन–600 लीटर	21 पीस	39500	829500
3	डस्टबीन–240 लीटर	20 पीस	16000	320000
4	हाइड्रोलिक टेम्पू	1 पीस	390000	390000
5	सी एफ एल बल्ब – 85 वाट	40 पीस	3000	120000
6	सेक्शन मशीन	1 पीस	650000	650000